

110

माननीय रेवन्यू बोर्ड केम्प इंदौर ग्वालियर के समक्ष

नगरानी - 3361/2018/खरगौन/भू.श

सी. उ. काबी यादव
का.श. डेरा 16-5-18
का. प्रत्यक्ष प्रि.म.
16-5

1. परसराम पिता धनिया यादव
जितेन्द्र पिता परसराम यादव
दोनों निवासी - ग्राम सहेजला, तहसील भीकनगांव,
जिला खरगौन (म.प्र.)

-- -- -प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. ग्राम पंचायत सहेजला द्वारा सरपंच,
ग्राम पंचायत सहेजला तहसील भीकनगांव,
जिला खरगौन (म.प्र.)
2. संतोष पिता पुनमचंद यादव,
पंच ग्राम पंचायत सहेजला
निवासी - सहेजला तह. भीकनगांव,
जिला खरगौन (म.प्र.)
3. राजेश पिता परसराम यादव
4. बाबूलाल पिता मांगीलाल यादव
5. मुकुन्द पिता रघुनाथ यादव,
6. रामेश्वर पिता गणपत यादव
7. कृष्णा पिता तुलसीराम यादव,
8. भागीरथ पिता तुलसीराम यादव,
9. मगन पिता भातु
10. कृष्णा पिता गजानंद यादव,
11. मोतीराम पिता बंदी यादव,



(Handwritten signature)

12. अशोक पिता मुकुन्द यादव,
13. मयाराम पिता लक्ष्मण यादव,
14. कडवा पिता रामा यादव
15. अनिल पिता जगदीश यादव
16. कैलाश पिता खुश्याल यादव
17. माधव पिता नवस्या यादव,
18. गजानंद पिता बंदी यादव,
19. जितेन्द्र पिता मोतीराम यादव,
20. महेन्द्र पिता बाबूलाल यादव
21. ओमप्रकाश पिता बाबूलाल यादव
22. धमेन्द्र पिता गजानंद यादव

सभी निवासी - ग्राम सहेजला तहसील भीकनगांव,

जिला खरगौन

-- -- प्रतिप्रार्थीगण

रिविज़न अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता के तहत

“माननीय अपर कमीश्नर महोदय, इंदौर द्वारा राजस्व अपील


कं. 428/15-16 अपील खरगौन में पारित आदेश दिनांक

28/04/2018 के विरुद्ध रिविज़न” सादर निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

173

परसराम, ग्राम पंचायत

RB-2/नि/रवरगी-1/दूरा/18/3361

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
20-6-18	<p>आवेदक माधवलाल सूचना उपरांत अनुपालित। आवेदक पक्ष को तीन बार पुकार लगाई गई, परंतु आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः आवेदक के सूचना उपरांत अनुपालित रहने के कारण अदम जैरवी में खारिज किया जाता है।</p>	<p> अधेश</p>

